उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1751/ग्यारह-9(150)/15-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(172)-2016

लखनऊः दिनांकः 29 दिसंबर, 2016

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में, दिनांक 30 दिसंबर, 2016 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

<u>संशोधन</u>

उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 19 पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	**वस्तु का नाम एवं विवरण**
1	**2**
19	मोटर/ बैटरी चालित ई-रिक्शा

आज्ञा से,

बीरेश कुमार

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in